न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/38)

राजूराम पुत्र हीराराम जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट

बनाम

1. रामी देवी पुत्री हरीराम पत्नी चन्दुराम जाति बावरी निवासी चक 1 जी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)
2. सरपंच, ग्राम पंचायत 2 एमएलडी, पंचायत समिति घड़साना जिला श्रीगंगानगर (हाल जिला अनूपगढ)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री रामचन्द्र सिह भाटी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना, अपील सं. 07/2013 निर्णय दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट रामी देवी ने सरपंच ग्राम पंचायत 2 एमएलडी द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 62 दिनांक 24.11.2004 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त रकबा का इन्तकाल संयुक्त रूप से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम दर्ज करने के आदेश देने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.2015 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 62 दिनांक 24.11.2004 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट राजूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.07.2015 को निरस्त फरमाने का अनुतोष चाहा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस व अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि हीरा पुत्र जीवन के नाम तहसील घड़साना में चक 1 जीडी मे मुरब्बा नं. 66/12 में 6–325 हैक्टर कृषि भूमि है। हीरा के देहान्त होने पर ग्राम पंचायत 2 एमएलडी द्वारा नामान्तरकरण सं. 62 दिनांक 24.11.2004 से अपीलान्ट के नाम दर्ज की गई, जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामी ने अपने आपको मृतक हीरा की पुत्री बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय अपील पेश की। जो दिनांक 29.07.2015 को स्वीकार कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड करने के आदेश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तरकरण सं. 62 दिनांक 24.11.2004 के विरूद्व दिनांक 30.04.2013 को अपील प्रस्तुत की गई जो स्पष्ट मियाद बाहर है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निस्तारण करने से पूर्व मियाद बिन्दु पर कोई निर्णय पारित नही किया। कानूनन किसी भी अपील का निस्तारण करने से पूर्व मियाद बिन्दु पर निर्णय किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत अपील में रामी द्वारा कथन किया गया कि हीरा वल्द जीवन ने अपने जीवनकाल में दो शादिया की थी। प्रथम शादी तुलसी देवी से जिससे राजूराम पैदा हुवा इसके बाद तुलसी देवी के निधन के बाद दूसरी शादी चिमनी देवी से हुई जिससे रामी व एक लडका एक लड़की तीन औलादे पैदा हुई। रामी द्वारा प्रथम अपील के साथ जो दस्तावेज पेश किय गय थे उनके मुताबिक हीरा पुत्र जीवन की मृत्यु दिनांक 13.07.2001 को हुई तथा हीरा की प्रथम पत्नी तुलसी देवी का दिनांक 15.09.2001 को देहान्त हुआ। अर्थात प्रथम पत्नी तुलसी देवी के देहान्त होने से पूर्व ही हीरा का देहान्त हो चुका है तो चिमनी देवी के साथ हीरा की दुसरी शादी केसे हो सकती है, अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजो का सही तरीके से अवलोकन नही

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया एकतरफा निर्णय पारित कर दिया जो कानूनन गलत एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत अपने आप में न्यायालय है तथा ग्रामवासियो के वारिस प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून की गलत व्याख्या कर अपील स्वीकार की है। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की आम बैठक मे प्रस्ताव पर लिया जाकर इन्तकाल संख्या 62 स्वीकृत किया है जिसमे किसी भी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपील का निस्तारण करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना ही नही गया ना ही किसी प्रकार से सुनवाई सबूत का कोई अवसर दिया। कानूनन किसी भूमि मे हित अधिकार नियमित वाद के जरिये ही तय किये जा सकते है, नामान्तरकरण की प्रक्रिया समरी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रकार के हित अधिकार तय नही किये जा सकते है। अतः अपील जानकरी से अन्दर मियाद शुमार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना का आदेश दिनांक 29.07.2015 को निरस्त किया जाकर अपील मन्जूर फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि जैर अपील रकबा हीरा वल्द जीवन का वाके चक 1 जीडी के मु. नं. 66/12 तादादी 6.325 है. है। जिसका स्वर्गवास होने पर अपीलान्ट ने फर्जी तरीके से हीरा का अकेला वारिस बनकर इन्तकाल सं. 62 दिनांक 24.11.2004 स्वीकृत करवा लिया, जिसके खिलाफ मुझ रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की जो स्वीकार होकर इन्तकाल सं. 62 दिनांक 24.11.2004 को निरस्त कर दिया। अपीलान्ट राजूराम ने मिथ्या तथ्यो एवं विधि विरूद्व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर जैर अपील रकबा अकेला ही हासिल करना चाहता है, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामी भी हीरा वल्द जीवन की बेटी के तौर पर वारिस है जिसका जैर अपील मे 1/2 हिस्सा अर्जित निहित है। ग्राम पंचायत 2 एमएलडी के सरपंच द्वारा बिना वारिसान की जांच किये, बिना मीटिंग बुलाये ,बिना मौका की जांच किये इकतरफा तौर पर अकेले अपीलान्ट राजूराम के नाम से इन्तकाल सं. 62 स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2015 की पालना मे नया इन्तकाल सं. 101 दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

16.06.2016 को स्वीकृत होकर पुन मृतक हीरा के नाम से दर्ज हो चुका है। अपीलान्ट जैर अपील में रकबा में मुझ रेस्पोडेन्ट को 1/2 हिस्सा नही देने की नियत से अपील में मनगढत कहानी लेकर आया है। रेस्पोडेन्ट रामी ने अधीनस्थ न्यायालय में मियाद प्रार्थना पत्र के अपील में हुई देरी का स्पष्ट करण अंकन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का उपयोग कर विधि के अनुरूप मियाद माफ की है जो निर्णय सही है। जबकि अपीलान्ट ने यह अपील निर्णय होने के 10 माह पश्चात देरी से पेश की है जबकि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मुझ रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामी ने सारे सबूत रिकार्ड प्रस्तुत किये है जिस पर गौर फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.07.2015 को यथावत कायम रखा जाकर यह अपील निरस्त की जाकर मुझ रेस्पोडेन्ट सं. 1 रामी को अपीलान्ट राजूराम से हर्जा खर्चा रूपये 25000/–दिलाया जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया है कि रामीदेवी के पाठशाला प्रवेश पत्र वर्ष 1985 मे पिता का नाम हीरालाल 1 जी.डी. घड़साना अंकित है, रजिस्टर दाखिल खारिज में भी पिता का नाम हीरालाल दर्ज है। ट्रासफर सर्टिफिकेट पाठशाला प्रवेशानुसार में भी पिता का नाम हीरालाल दर्ज है। सूरतगढ विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 49 की निर्वाचक नामावली वर्ष 1988 मे हीरा पुत्र जीवना व चिमनी पत्नी हीरा दर्ज है। पुलिस थाना घड़साना द्वारा FIR संख्या 217 दिनांक 10.06.2011 में प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन रामीदेवी को हीरालाल की पुत्री माना गया व गलत तथ्य प्रस्तुत कर नामान्तकरण खुलवाने के कारण राजुराम वगैरह को मुल्जिम माना जाकर चालान पेश किया गया। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे हीरा वल्द जीवन की मृत्यु होने पर मात्र राजुराम के पक्ष मे नामान्तरकरण खोला जाना विधिनुकूल नही है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उक्त विवेचन के मध्यनजर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधीकारी घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2015 यथावत रखा जाता है, साथ ही तहसीलदार घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि इस विवादित प्रकरण में अभी तक अगर जायज वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण नही खोला गया है तो प्रकरण मे श्री हीरा वल्द जीवन कौम बावरी के जायज वारिसान की जांच कर विधिवत नामान्तरकरण संबधी कार्यवाही करें। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर